

कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन-राजस्व विभाग

प्र.क्र / 08 / अ-82 / 2019-20 / 6256

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम तेलीपुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 1.345 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम तेलीपुरा प.ह.न 26 रा.नि. वृत्त 01 में उक्त परियोजना के लिये 1.345 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है

क्र	सर्वे नम्बर	स्वामि त्वि का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर मे	हित वद्ध व्यक्ति का नाम, पता, जाति , हिस्सा (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	03	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.317	जसवंत सिंह ,भगवती, रोशन , गजराज पुत्रगण अंगद जाति रावत निवासी ग्राम तेलीपुरा हि. समान भाग भूमिस्वामी भू.रा. 2. 37
2	04	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.421	रामप्रकाश पुत्र लखमी जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 3.75 पैसे
3	05	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.341	लालपति पुत्र शिवलाल जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू. रा. 6.50 पैसे
4	15	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.180	रामचरण पुत्र भौरु जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 5. 00 पैसे
5	16	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.086	लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन , धनतूरी पुत्री सरवन, जाति रावत, कल्याणी वेवा लखन हि. 1/2 समान भाग रामनारायण शिवनारायण बलबीर रघुवीरप पुत्रगण पॉंच्या कलावती वेवा पॉंच्या रजनी रेशा पुत्री पॉंच्या , जाति रावत निवासी ग्राम हि. 1/2 समान भाग भू. रा. 1.56 पैसे
		योग		1.345	

कलेक्टर

जिला श्योपुर (व.प्र.)

. यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।


अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थान: श्योपुर
तारीख-08.08.2019





(बसंत कुरे)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क./0008/अ-82/भू-अर्जन/2019-20/6260
प्रतिलिपि-

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला श्योपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. श्योपुर की ओर कलेक्टर जिला श्योपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु ।


कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)